



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267473
CG-DL-E-08112025-267473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4881]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947

No. 4881]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5036(अ).— यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035 (अ), दिनांक 07 मई 2010 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4ए के खंड कि.मी 0.000 से कि.मी 84.120 तक (बेलगौम-गोवा/कर्नाटक सीमा से), को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद “प्राधिकरण” कहा जाए) को सुपुर्द किया गया है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात “नियम” के रूप में उल्लेखित है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और बाद के संशोधनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 748 (पुराना एनएच 4ए) खानपुर से गोवा/कर्नाटक सीमा खंड के डिजाइन कि.मी 30.000 से कि.मी 82.300 (मौजूदा कि.मी 30.800 से कि.मी 84.120) तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सड़क खंड लंबाई 37.000 कि.मी [सारणी -2] तथा समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 2.000 कि.मी (0.200 कि.मी लंबाई वाली, तालिका-3) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 60% शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
टोल प्लाजा का स्थान (चनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में तिनई घाट (देवल्ली गांव) के पास एनएच-748 (पुराना एनएच -4ए) का 64.000 कि.मी पर	37.000 कि.मी [संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी -3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई [^] (कि.मी में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में तिनई घाट (देवल्ली गांव) के पास एनएच-748 का 64.000 कि.मी पर	0.200	2.000	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

[^]विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी में)
	कि.मी से	कि.मी तक		
1	52.425	52.625	बड़ा पुल	0.200
कुल संरचना की लंबाई जो > 60 मीटर है				0.200

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340/- रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका -4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 565.23 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-डीडब्ल्यूडी/24011/एनएच-748(4ए)-तिनईघाट/ई-247149]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5036(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1035 (E), dated the 7th May, 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometre 0.000 to Kilometre 84.120 (from Belgaum-Goa/Karnataka Border) of National Highway No 4A in the state of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and subsequent amendments (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 37.000 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.000 km of structure (having length 0.200 km [Table-3]) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of two lane with paved shoulders of Khanapur to Goa/Karnataka Border section from design Km. 30.000 to Km. 82.300 (existing Km 30.800 to Km 84.120) of National Highway No. NH-748 (old NH-4A) in the State of Karnataka and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-Axle Commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2		
Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 64.000 of NH-748 (old NH-4A) near Tinai Ghat (Devalli Village) in Uttara Kannada District of state Karnataka	37.000 Km [excluding length of Structures (>60m)]	60% for two lane with Paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 64+000 of NH-748 near Tinai Ghat (Devalli Village) in Uttara Kannada District of Karnataka	0.200	2.000	60% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details are as under:

Sl.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	52+425	52+625	Major Bridge	0.200
Total Structure Length which are > 60m				0.200

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 340/- (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is **Rs. 565.23 Cr.** The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/PIU-DWD/24011/NH-748(4A)-TinaiGhat/E-247149]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.